# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2011/00250 (72/2010) 223 आरटीएक्ट

प्रहलाद पुत्र तेजाराम जाति जाट साकिन भागवा तहसील भादरा जिला नुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. दानाराम
2. सुरजाराम
3. सरजीत सिंह } पिसरान निराणाराम अकवाम जाट साकिन भागवां तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. सुन्दर
5. भानी
6. सावित्री } पुत्रियान निराणाराम अकवाम जाट साकिन भागवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. रेडाराम
8. ईश्वर } पुत्रगण तेजाराम जाति जाट साकिन भगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
9. रामा
10. कृष्णा } पुत्रियान तेजाराम अकवाम जाट साकिन भागवां तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
11. विरमा राम पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन भागवां तहसील भादरा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील भादरा ।

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.06.2010 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा अनवान प्रहलाद बनाम दानाराम प्र0 सं0 187/2006

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः– 10.02.2021

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] न्यायालय में अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 53 व 188 [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि रोही [illegible] भगवा तथा ढाणी स्वामियान में कुल 63.15 बीघा भूमि है जो खसरों में पैमूद हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

चुकी है। जिसमें भंगवा की खातेदारी में श्योलाल का 354 हिस्सा ढाणी स्वामियान की खातेदारी 1/3 यानि 12.11–1/2 बीघा दर्ज है जिस बाबत श्योलाल ने दिनांक 05.07.06 को रजिस्टर्ड दस्तबरदारी अपने संयुक्त खातों के सह काश्तकार के पक्ष में परित्याग कर दी। मगर रिलिज डीड, ट्रांसफर डीड नही है। इसलिए उक्त दस्तबरदारी से प्रतिवादी सं0 1 व 2 अकेलों को श्योलाल का हक नहीं मिलता है सभी शेष सहखातेदारों को हिस्सा मिलना चाहिए। वादी ने वादी ने उक्त भूमि में हकों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा।

2. प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया गया कि श्योलाल ने अपना समस्त हक हिस्सा रिलीज कर दिया था इसलिए वादी व शेष प्रतिवादी को मृतक श्योलाल की खातेदारी मे कोई हक हिस्सा नहीं मिला इसके अलावा मृतक श्योलाल ने अपनी तमाम चल अचल सम्पति की वसीयत कर दी । वादी ने कल्पना के आधार पर वाद पेश किया है। वाद खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथिति होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन नहीं कर कतई मनमाना स्वेच्छाचारी नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट के जुम्मे तनकियात का कोई विश्लेषण नहीं किया जबकि अपीलाण्ट ने तनकियात भलीभांति साबित की थी। दस्तबरदारी जो ट्रांसफर डीड नही होती है तथा रिलीज डीड से टाईटल ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसलिए रेस्पो0 सं0 1 व 2 अकेलों को कोई खातेदारी अधिकार हासिल नही होते हैं। छोड़ा गया हिस्सा सभी खातेदारों के हिस्से में जायेगा। मातहत अदालत ने दिनांक 05.07.2006 दस्तबरदारी के अलावा जवाब दावा में वसीयत का आधार लिया है। दोनों आधार विरोधाभाषी हैं। जब श्योलाल मरा उस समय उसके पास कोई खातेदारी भूमि नहीं थी। वसीयत का उद्देश्य निष्फल हो चुका था तथा दस्तबरदारी द्वारा अपना हक परित्याग कर चुका था तथा दस्तबरदारी कानूनी प्रावधान के खिलाफ तस्दीक की गई थी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में एआईआर 2003 पेज 498, एआईआर 1987 पेज 1775 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।
5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मृतक श्योलाल ने प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हक में अपना तमाम हक व स्वत्व रिलिज कर दिये थे

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

इसलिए वादी व शेष प्रतिवादी को मृतक श्योलाल की खातेदारी मे कोई हक हिस्सा नही मिला इसके अलावा मृतक श्योलाल ने अपनी सम्पति की वसीयत कर दिया व उक्त वसीयत उसकी अन्तिम वसीयत थी जो उसकी मृत्यु के बाद तुरंत प्रभाव में आ गई। रेस्पोडेण्ट्स मृतक श्योलाल का हिस्सा रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने के हकदार हैं। श्योलाल के हिस्से की खातेदारी पर काबिज काश्त हैं तथा एक खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। वादी ने श्योलाल के द्वारा कराई दस्तबरदारी को चुनौती दी है इस कारण दावा सिविल नेचर का है। निर्णय की तनकी नं. 1 में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2020 आरआरटी पेज 271 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण मृतक श्योलाल की वाद भूमि में दर्ज हिस्से में हकों की घोषणा के संबंध में है। अपीलाण्ट का कथन है कि मृतक श्योलाल की सम्पति उसके भाई निराणा व तेजाराम की संतानों को बहिस्सा बराबर में प्राप्त हुई है व इसी अनुसार हकों की घोषणा की जावे, जबकि रेस्पोडेण्ट का कथन है कि रेस्पो0 ने श्योलाल द्वारा करवाई गई वसीयत व दस्तबरदारी के आधार पर वाद भूमि अपने को मिलना बताया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अभिमत दिया है कि श्योलाल ने दस्तबरदारी की है जिसे धोखे या दबाब में करवाया गया हो ऐसा आक्षेप वादी ने नहीं लगाया है । श्योलाल ने अपनी इच्छानुसार करवाई है। जहां तक दस्तबरदारी से अकेले प्रतिवादी सं0 1 व 2 को हक नहीं मिलता अपितु वादी व प्रतिवादीगण सभी को सम्मान हक मिलता है का प्रश्न है, के संबंध में राजस्थान काश्तकार अधिनियम बना हुआ है जिसके ताबे भूमि के अधिकार वैस्ट नही होते हैं। उक्त अधिनियम में दस्तबरदारी को परिभाषित नही किया गया है दस्तबरदारी राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के तहत ही की जानी शुरू हुई। उक्त परिपत्र के तहत ही की जानी शुरू हुई है उक्त परिपत्र में ऐसा कही भी दर्ज नहीं है कि एक खातेदार अपना हक तर्क करता है तो उसका हक शेष सभी वारिसान को मिलेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील[illegible] माना है। श्योलाल ने अपनी सम्पति का हकदार अपनी मृत्यु के [illegible] द[illegible]राम व सुरजाराम को घोषित किया है। वसीयत को किसी [illegible] से संशोधि[illegible] करवाया है। श्योलाल का हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के [illegible] न हो इसलिए श्योलाल द्वारा वसीयत भी निष्पादित की गई है। वसीयत को न[illegible]रा नहीं जा सकता है। अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय में अपीलाण्ट ने अपने वाद को साक्ष्यों द्वारा साबित नहीं किया है तथा अपील स्तर पर भी उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

10/2/21

(करतार सिंह पूनीया आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील सं0 2011/00250 (72/2010) 223 आरटीएक्ट

प्रहलाद पुत्र तेजाराम जाति जाट साकिन भागवा तहसील भादरा जिला नुमानगढ़। —अपीलाण्ट

बनाम

1. दानाराम
2. सुरजाराम
3. सरजीत सिंह

} पिसरान निराणाराम अकवाम जाट साकिन भागवां तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4. सुन्दर
5. भानी
6. सावित्री

} पुत्रियान निराणाराम अकवाम जाट साकिन भागवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

7. रेडाराम
8. ईश्वर

} पुत्रगण तेजाराम जाति जाट साकिन भगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

9. रामा
10. कृष्णा

} पुत्रियान तेजाराम अकवाम जाट साकिन भागवां तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

11. विरमा राम पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन भागवां तहसील भादरा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील भादरा । —रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.06.2010 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा

अनवान प्रहलाद बनाम दानाराम प्र0 सं0 187/2006

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2010 यथावत रखा जाता है। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 10.02.21 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

10/2/21

(करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़